महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान)

वेद पाठशाला योजना के लिए दिशा-निर्देश

वैदिक सस्वर उच्चारण की मौखिक परम्परा को अक्षुण्ण बनाएं रखने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सारे देश में वैदिक पाठशालाओं की स्थापना करना, उनका अधिग्रहण करना, उनका प्रबंध करना अथवा पर्यवेक्षण करना तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका सम्पोषण करना तथा उन्हें संचालित करना है । इस प्रावधान के अन्तर्गत देश के विभिन्न वेद पाठशालाओं एवं विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस प्रयोजनार्थ चयन किया गया शिक्षक कम से कम एक वेद की एक शाखा में पूर्णरुपेण निपुण होना चाहिए । वेदाध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि जिन छात्रों को वेदाध्ययन सिखाने का विशेष दायित्व सौंपा गया है, वह उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वह जिस शाखा में अर्ह है, सस्वर पूरी संहिता के उच्चारण में उन्हें पारंगत बना सके । प्रत्येक छात्र की शिक्षण अवधि सात वर्ष है।

पाठशाला योजना के तहत संस्था का चयन

वेदपाठशाला अथवा वेदपाठशाला संचालित करने वाली संस्था का पंजीकरण अधिनियम १८६० के सोसायटी एक्ट के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।किसी भी वेद पाठशाला में वेद की एक शाखा के अध्ययन-अध्यापन के लिए न्यूनतम 10x14 फुट के आकार के 5 कक्ष आवश्यक हैं । यदि पाठशाला में दो वेदों का अध्ययन हो रहा है तो 8 कक्ष तथा इससे उपर प्रत्येक वेद के लिए अतिरिक्त दो-दो कक्ष की उपलब्धता अनिवार्य है ।

प्रत्येक पाठशाला/विद्यालय के मुख्य द्वार पर संस्था के नाम का कम से कम 5x3 फुट का एक साइन बोर्ड जिसमें वेदपाठशाला/संस्था के नाम व पता के साथ प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित लेख निम्नलिखित अनुसार लिखा हो, लगाना चाहिए। सचिव/अध्यक्ष/मंत्री का भी नामोल्लेख फोन/मोबाईल नम्बर के साथ किया जाए । ऐसी संस्थाओं द्वारा संचालित पाठशालाओं को ही पाठशाला योजना में सम्मिलित किया जायेगा, जो पिछले तीन वर्षों से वेद अध्ययन-अध्यापन करवा रही है तथा प्रतिष्ठान का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करवा रही है। यदि किसी संस्था में अध्ययन-अध्यापन एवं परिणाम उच्चस्तरीय है तथा वह संस्था अपने मूलभूत ढांचा एवं प्रबन्धन से सुदृढ तथा प्रतिष्ठान मानकों को पूरा करती है, तो उसको वेदपाठशाला योजना में कुछ समय की शिथिलता दी जा सकती है । ऐसी पाठशालाओं का निरीक्षण एवं अध्यापकों के सम्परीक्षण के पश्चात ही पाठशाला योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव को प्रतिष्ठान की वित्त समितिकी स्वीकृति के लिए रखा जा सकता है ।

लेखों का प्रस्तुतीकरण

संस्था/ पाठशाला से लेखा संबंधी प्रमाण पत्र २५ अप्रैल से अनन्तर प्राप्त होने पर संस्था/ पाठशाला को उस वित्तीय वर्ष का अनुदान प्रति माह प्रदान करना संभव नहीं होगा । संस्था/पाठशाला चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षा कर निम्नलिखित विवरण अनुसार प्रमाणित प्रपत्र प्रतिष्ठान को प्रेषित करेंगी।

(१)	उपयोगिता प्रमाण पत्र

(२)	तुलना पत्र

(३)	आय-व्यय लेखा

(४) प्राप्ति भुगतान लेखा

(५) संस्था/ पाठशाला का वार्षिक प्रतिवेदन

(६) अध्यापकों को भुगतान किये गये मानदेय की निर्धारित प्रपत्र पर प्राप्ति विवरण प्रपत्र।

(७) अनुदान सम्बन्धी बाण्ड, रेजोलेशन आदि प्रपत्र।

वेद अध्यापक की शैक्षणिक योग्यता तथा मानदेय

पाठशाला में वेद अध्यापन कराने हेतु वेद अध्यापक को किसी गुरु के सानिध्य में रहकर सम्बन्धित वेदशाखा की संहिता में पारंगत होने के साथ –साथ पद, क्रमपाठ, ब्राह्मणग्रन्थ, प्रातिशाख्य तथा शिक्षा आदि ग्रन्थों का भी उत्तम ज्ञान होना चाहिए अथवा प्रतिष्ठान द्वारा संचालित वेदपाठशाला में पूर्ण अध्ययन कर वेदविभूषण का प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता की मान्यताप्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए ।

वेदाध्यापकों का मानदेय प्रतिष्ठान नियमानुसार संस्था/पाठशाला से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अध्यापकों के खाते में प्रतिष्ठान द्वारा मानदेय प्रेषित किया जाएगा।

वेद अध्यापक की आयु तथा अनुभव

वेद अध्यापक की न्यूनतम २१ वर्ष होना चाहिए तथा किसी भी पाठशाला में न्यूनतम एक वर्ष का अध्यापन का अनुभव आवश्यक है। जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। वेद अध्यापक को अनुदान प्रदान करने की अधिकतम आयु ६५ वर्ष है। स्वास्थ्य और शिक्षण हेतु सक्षम होने पर अधिकतम ७० वर्ष तक सेवारत रह सकते हैं।

वेद अध्यापक की चयन प्रक्रिया

पाठशाला द्वारा वेद अध्यापक का आवेदन प्रेषित किए जाने पर प्रतिष्ठान द्वारा गठित विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर अध्यापक का सम्परीक्षण किया जाएगा । सम्परीक्षण में चयन होने पर अध्यापक को पाठशाला में नियुक्त किया जा सकेगा ।

संस्कृत व आधुनिक विषय शिक्षकों के चयन मानक

- पाठशाला प्रबन्धन संस्कृत और आधुनिक विषय शिक्षकों के चयन हेतु स्थानीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा । जिसमें प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, उम्र, एवं मानदेय का उल्लेख किया जायेगा। तत्पश्चात प्राप्त उम्मीदवारों की सूची जिसमें उम्मीदवार का नाम, पता, आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा किस विषय के लिए आवेदन किया है, समस्त जानकारी प्रतिष्ठान को साक्षात्कार से पूर्व प्रेषित की जायेगी। इसके साथ साक्षात्कार की तिथि एवं विषय-विशेषज्ञ प्रतिष्ठान द्वारा निश्चित किए जाएगें।
- संस्कृत और आधुनिक विषय शिक्षकों की न्यूनतम उम्र २५ वर्ष होगी। सेवानिवृत्त संस्कृत व आधुनिक विषय के अध्यापक ६५ साल की उम्र पूर्ण होने तक अध्यापन कार्य कर सकते हैं।
- संस्कृत शिक्षक के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता शास्त्री/बी०ए० संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए। बी०एड०/एम०ए० उपाधि धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आधुनिक विषय अध्यापक के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषय में शास्त्री/बी०ए० या समकक्ष होना चाहिए। बी०एड०/एम०ए० धारित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- संस्कृत / आधुनिक विषय के अध्यापन हेतु अध्यापनानुभव के आधार पर वरीयता प्रदान की जाएगी।
- संस्कृत एवं आधुनिक विषय के अध्यापकों का मानदेय संस्था / पाठशाला के प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार अध्यापकों के खाते में प्रतिष्ठान द्वारा सीधे प्रेषित किया जाएगा।
- पाठशाला में २०-४० छात्रों पर एक संस्कृत अध्यापक एवं एक आधुनिक विषयाध्यापक देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक २० संख्या बढने पर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक की अनुमति मिल सकती है।
- संस्कृत एवं आधुनिक विषय अध्यापक के सम्परीक्षण की समिति निम्नवत् होगी -

    (क) पाठशाला प्रतिनिधि

    (ख) प्रतिष्ठान प्रतिनिधि

    (ग) विषय विशेषज्ञ

छात्र संख्या

किसी भी पाठशाला में ०१ वेद अध्यापक के सान्निध्य में अधिकतम १० छात्र वित्तपोषित प्रवेश ले सकेगें। इसके पश्चात् भी यदि छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो उन सभी छात्रों को प्रतिष्ठान में पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क देना होगा।

परीक्षा प्रणाली व परीक्षा शुल्क

वेद परीक्षा :- प्रथम से सप्तम वर्ष के छात्रों की मौखिक परीक्षा प्रतिवर्ष ली जाएगी ।

लिखित परीक्षा :- प्रथम से चतुर्थ वर्ष के छात्रों की आधुनिक विषयों (अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत) की लिखित परीक्षा ली जाएगी ।

पूरक परीक्षा : पूरक परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी ।

परीक्षा व पंजीयन शुल्क: १० वित्तपोषित छात्रों के अतिरिक्त छात्र होने पर रु० ३,००/- पंजीयन व परीक्षा शुल्क देय होगा ।

सप्तम वर्ष के छात्रों की वार्षिक परीक्षा प्रतिष्ठान परिसर उज्जैन में ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा हेतु छात्रों को उनके अध्ययन स्थान से प्रतिष्ठान तक का आवागमन व्यय एक अध्यापक के निर्देशन में प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाएगा।

छात्र की प्रवेश प्रक्रिया

आवेदन अवधि : छात्र के प्रवेश हेतु प्रतिवर्ष दिनांक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आवेदन प्रतिष्ठान में प्रेषित किए जाय।

प्रवेश हेतु आयु व शैक्षणिक योग्यता :

(१) छात्र के प्रवेश हेतु आवेदन अवधि में छात्र की अधिकतम आयु १६ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(२) आयु प्रमाण हेतु स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र या शपथ पत्र (अफिडेविट) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(३) छात्र को देवनागरी लिपि लिखने व पढने का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे वेद अध्यापक प्रमाणित कर सकते हैं।

(4) छात्र कक्षा ५वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

पाठ्यक्रम अवधि व पाठ्यक्रम शुल्क

- पाठ्यक्रम को ०५ वर्ष तथा ०२ वर्ष की पद्धति के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा ।
- ०५ वर्षीय पाठयक्रम उत्तीर्ण छात्रों को "वेद्भूषण" का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। जिसमें वेद् की चयनित शाखा की संहिता का पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाएगा।
- ०५ वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात छात्र ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि का अध्ययन करने हेतु ०२ वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर संकेगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर छात्र को "वेदविभूषण" पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम सामग्री प्रतिष्ठान से क्रय की जा सकती है।

छात्रों की छात्रवृत्ति

- छात्रों को रु० २,०००/- प्रतिमाह की अध्ययन वृत्ति प्रदान की जाएगी । जिसमें से रु. १५००/ छात्र के भोजन आदि रखरखाव के लिए और रु. ५००/ छात्र के स्वतः के व्यय के लिए प्रदान किया जाएगा। भोजनादि रखरखाववृत्ति पाठशाला/संस्था को तथा स्वतः व्ययवृत्ति छात्र के अभिभावक के संयुक्त बैंक खाते में प्रतिष्ठान द्वारा प्रेषित की जाएगी।
- प्रथम वर्ष के छात्रों को वार्षिक परीक्षा में वेद/ आधुनिक विषयों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण /अनुपस्थित रहने पर भी द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु ०२ वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।
- छात्र को प्रथम व द्वितीय वर्ष की वेद परीक्षा पूर्णत: उत्तीर्ण होने पर ही तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा ।अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में छात्र पूर्णत: वित्तविहीन हो जाएगा ।
- छात्र के वेद परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर के आधार पर तृतीय से पंचम वर्ष तक कक्षोन्नति नहीं होगी। यदि छात्र आधुनिक विषय में अनुत्तीर्ण रहता है, तो छात्र की कक्षोन्नति होगी तथा अगले वर्ष पूर्व कक्षा की आधुनिक विषय की परीक्षा में भी सम्मिलित होगा। पंचम वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षा तक समस्त कक्षा की आधुनिक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। षष्ठ, सप्तम वर्ष के छात्रों में से यदि कोई छात्र षष्ठ वर्ष में आधुनिक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे सप्तम वर्ष में दोनों षष्ठ, सप्तम वर्ष की आधुनिक विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी

आनुसांगिक अनुदान

वर्तमान में पाठशालाओं को वेद अध्यापकों के मानदेय व छात्रों की छात्रवृत्ति (रखरखाव + आस्थगित) के कुल योग का ७.५ प्रतिशत आनुशांगिक अनुदान राशि का भुगतान पाठशाला के बैंक खातें में RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

(अनुदान समिति के निर्णयानुसार। बजट की उपलब्धता के आधार पर आनुसंगिक अनुदान राशि १०% की जा सकती है)

पाठशाला का निरीक्षण व प्रतिष्ठान का नियंत्रण

- प्रतिष्ठान द्वारा किसी भी पाठशाला का प्रत्येक ०३(तीन) वर्ष पश्चात् निरीक्षण किया जाएगा ।

- निरीक्षण हेतु देशभर में अलग-अलग प्रान्त के अनुसार समितियां बनाई जाएगी। जो प्रान्त अनुसार पाठशालाओं का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण समिति द्वारा संस्था / पाठशाला को गुणवत्ता के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

सर्वोत्तम	(A)	उत्तम	(B)
मध्यम	(C)	निम्न	(D)

पाठशाला को निम्न श्रेणी (D) प्राप्त होने पर पाठशाला का अनुदान तथा मान्यता रद्द की जा सकती है।

वेदाध्यापक हेतु अवकाश सम्बन्धी नियम:

1. पाठशाला योजना के अध्यापकों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्वीकृत राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुसार अवकाशों का प्रावधान होगा।
2. साप्ताहिक अवकाश - प्रत्येक अष्टमी एवं प्रतिपदा ।
3. आकस्मिक अवकाश - अध्यापकों को प्रतिवर्ष 12 दिन का आकस्मिक अवकाश (एक समय में अधिकतम तीन दिन का अवकाश स्वीकृत होगा।)
4. विशेष अवकाश - अध्यापकों को प्रतिवर्ष 12 दिन का विशेष शैक्षणिक अवकाश दिया जा सकता है जो कि उनकी शैक्षणिक गतिविधियों जैसे वेद संगोष्ठी, वेद सम्मेलन आदि किन्तु प्रतिष्ठान द्वारा निर्गत पत्र पर लिया गया अवकाश कार्यावकाश माना जाएगा।
5. चिकित्सा अवकाश - अध्यापकों को अस्वस्थता की दशा में चिकित्सालय में भर्ती होने पर 3 वर्ष की सेवा उपरान्त एक माह तक का चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है, जिसकी सूचना प्रतिष्ठान को देनी होगी।
6. एक केलेण्डर वर्ष में मौसम की अनुकूलता को देखते हुए छात्र-अध्यापकों को केवल 40 दिन का अवकाश दिया जाएगा।
7. प्रत्येक विद्यालय के प्रबन्धक को अपने स्तर से 5 विशेष अवकाश देने का अधिकार होगा जिस दिन स्थानीय या प्रदेश सरकार का अवकाश रहेगा।
8. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजपत्रित अवकाश प्रदेय होंगे।
9. प्रबन्धक द्वारा पाठशालाओं में एक समय में एक से अधिक वेद/आधुनिक विषय के अध्यापक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी भी वेद अध्यापक को 3 कार्यदिवस या उससे अधिक दिन के अवकाश पर जाने से पूर्व पाठशाला के किसी भी अन्य वेदाध्यापक को अध्यापन का उत्तराधिकार देने के उपरान्त ही प्रबन्धक द्वारा अवकाश स्वीकृत करना सम्भव होगा।
10. एक माह (३० दिन) से अधिक विना सूचना के अनुपस्थित रहने पर अनुदान निरस्त किया जाएगा। पुनः सम्परीक्षण देने पर ही अनुदान दिया जा सकेगा।

विशेष :

१. पाठशाला प्रारम्भ करना बन्द करना स्थानपरिवर्तन करना या किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय प्रतिष्ठान द्वारा लिया जाएगा। इस हेतु सचिव एक समिति बनाकर निर्णय ले सकेगें।

२. यदि कोई पाठशाला बन्द हो रही है तो उन अध्यापकों को यथा संभव अन्य स्थान पर समायोजित किया जा सकता है।

३. पाठशाला से यदि अध्यापक स्वेच्छा से/बिना प्रतिष्ठान की अनुमति से छोडता है तो वहाँ अन्य अध्यापक को योजित करने का पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठान सचिव के पास सुरक्षित होगा।

४. प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित अवकाश के अतिरिक्त अध्यापक के अनुपस्थित रहने पर संस्था प्रमुख की सूचना के अनुसार अध्यापक के मानदेय में कटौती की जाएगी।

५. प्रतिष्ठान से सम्बद्ध अध्यापक जिसने पाँच वर्ष प्रतिष्ठान की योजना के अन्तर्गत अध्यापन किया है जिसका रिकार्ड उत्तम रहा है। वह यदि प्रतिष्ठान की योजना से किसी कारण दूर हो जाता है तो उसे प्रतिष्ठान की योजना में बजट की उपलब्धता के आधार पर पुनः लिया जा सकता है।

६. यदि कोई अध्यापक बिना प्रतिष्ठान की अनुमति के पाठशाला छोड कर चला जाता है तो इस स्थिति में प्रतिष्ठान की पाठशाला योजना में पुनः शामिल होने के लिए सम्परीक्षण देना अनिवार्य होगा।

७. पाठशाला योजना में अध्यापकों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।